



फसलों पर तपेदकि रोधी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रयोग पर रोक

प्रीलमिस के लिये:

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति, एकीकृत कीट प्रबंधन

मेन्स के लिये:

कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति' (Central Insecticides Board and Registration Committee- CIBRC) के तहत कार्यरत पंजीकरण समिति (Registration Committee- RC) ने फसलों पर स्ट्रेप्टोमाइसिन (Streptomycin) और टेट्रासाइक्लिन (Tetracycline) एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने का सुझाव दिया है।

मुख्य बदि:

- पंजीकरण समिति के सुझावों के अनुसार, जिन क्षेत्रों में जीवाणु रोग नियंत्रण के अन्य विकल्प उपलब्ध हैं वहाँ फसलों पर स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को तात्कालिक रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिये।
- जबकि जिन क्षेत्रों में जीवाणु रोग नियंत्रण के अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं हैं वहाँ वर्ष 2022 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से फसलों पर स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन के प्रयोग को कम किया जाना चाहिये।
 - परंतु तब तक (वर्ष 2022 के अंत तक) निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करते हुए इन एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जा सकता है।
 - समिति की अंतिम रिपोर्ट में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट (9%) और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड (1%) के उत्पादन, बिक्री और प्रयोग के सुझाव को स्वीकृति दी गई है।

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति

(Central Insecticides Board and Registration Committee- CIBRC):

- CIBRC की स्थापना 'कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय' (Ministry of Agriculture and Farmers Welfare) द्वारा वर्ष 1970 में की गई थी।
- CIBRC की स्थापना का उद्देश्य मनुष्यों, पशुओं और कीटनाशकों से जुड़े अन्य खतरों को देखते हुए देश में कीटनाशकों के आयात, निर्माण, बिक्री, परिवहन, वितरण और उपयोग को वनियमित करना था।
- देश में कीटनाशकों का वनियमन 'कीटनाशक अधिनियम, 1968' और 'कीटनाशक नियम, 1971' के तहत वनियमित किया जाता है।

चुनौतियाँ:

- कृषि में एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग:
 - यद्यपि CIBRC द्वारा मात्र 8 फसलों में स्ट्रेप्टोमाइसिन के उपयोग की अनुमति दी गई है परंतु नयियों की अनदेखी करते हुए इसका प्रयोग अन्य फसलों में भी किया जाता है।

- वजिज्ञान और पर्यावरण केंद्र (Centre for Science and Environment- CSE) द्वारा पछिले कुछ वर्षों से फसलों पर महत्त्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया जाता रहा है।
- नवंबर, 2019 में **वशिव एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह** (World Antibiotic Awareness Week- WAAW) के समय CSE ने महत्त्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के संदर्भ में वसितुत आँकड़े उपलब्ध कराए थे।
- इस अध्ययन में देखा गया कि दिल्ली, हरयाणा और पंजाब के कृषि फार्मों पर नयिमति रूप से स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन (90:10 के अनुपात में) के मशिरण का भारी मात्रा में उपयोग कया जाता है।

प्रतजैविक प्रतरिध:

- वशिवज्ञों का मानना है कि कृषि में बड़ी मात्रा में स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग से प्रतजैविक प्रतरिध (Antibiotic Resistance) का संकट उत्पन्न हो सकता है।
- इस मत के अनुसार, एंटीबायोटिक दवाओं के ज़यादा संपर्क में आने से वयकत में एंटीबायोटिक के प्रतप्रतरिधी क्षमता का वकिस हो सकता है, जसिसे कसि बीमारी के उपचार हेतु वयकत को सामान्य एंटीबायोटिक देने से बीमारी पर इसका कोई लाभ नहीं होगा।

मनुष्यों में स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग:

- CSE के अनुसार, पहले से तपेदिक (Tuberculosis -TB) का इलाज करा चुके मरीजों के मामले में स्ट्रेप्टोमाइसिन एक महत्त्वपूर्ण दवा का कम करती है। भारत में TB से ग्रस्त लोगों में ऐसे मरीजों की संख्या 10% है।
- साथ ही इसका प्रयोग **मल्टी ड्रग-रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस** (MDR-TB) के मरीजों और ट्यूबरकुलस मेनिजाइटिस (TB Meningitis or Brain TB) के मामलों में भी कया जाता है।
- वशिव स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization- WHO) ने स्ट्रेप्टोमाइसिन को मनुष्यों के लिये एक महत्त्वपूर्ण दवा के रूप में माना है।

समाधान:

- पंजीकरण समतिके अनुसार, फसलों में लगने वाले रोगों को 'एकीकृत कीट प्रबंधन' (Integrated Pest Management) या ऐसी ही अन्य प्रक्रियाओं को अपना कर नयित्तरति कया जा सकता है।

'एकीकृत कीट प्रबंधन'

(Integrated Pest Management- IPM):

- IPM एक पारसिथतिकी तंत्र आधारति (Ecosystem-Based) रणनीति है, जसिमें लंबे समय के लिये कीटों की रोकथाम और उनके हनकारक प्रभावों पर नयित्तरण पर ध्यान रखते हुए कुछ तकनीकों का समायोजन कया जाता है।
 - इनमें जैविक नयित्तरण, पारसिथतिकी बदलाव, अलग-अलग प्रजातियों के प्रतरिधकों का प्रयोग आदि शामिल है।
- इस प्रक्रिया में पौधों, हानकारक कीटों, जैविक पारसिथति आदि का वसितुत अध्ययन कर कीटनाशकों का उपयोग कया जाता है।
- इसके तहत कीटनाशकों के प्रयोग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस प्रक्रिया में मनुष्यों, पशुओं और प्रकृति को कम-से-कम क्षति हो।
- पंजीकरण समतिने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR) से CSE के सुझावों के अनुरूप बेहतर और सुरक्षति वकिलर्षों पर शोध की शुरुआत करने का आग्रह कया है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ